भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5505
05 अप्रैल, 2022 को उत्तर देने के लिए

पीएम-एफएमई योजना

5505. श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डीः
श्री एन. रेड्डप्पः
क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएम-एफएमई) का ब्यौरा क्या है;
(ख) वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 के दौरान आंध्र प्रदेश को प्राप्त वित्तपोषण का ब्यौरा क्या है;
(ग) वर्ष 2020-21 और 2021-22 में आंध्र प्रदेश में पीएम-एफएमई योजना द्वारा प्राप्त किए गए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;
(घ) सरकार द्वारा इस अंतर को पाटने और उन्हें दूर करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं;
(ङ) क्या उक्त योजना के लिए राष्ट्रीय पोर्टल पूरी तरह से कार्य कर रहा है;
(च) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश के प्रत्येक जिले में राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से योजना के नए पंजीकरणकर्ताओं की संख्या कितनी है;
(छ) क्या पिछली बार वर्ष 2015-16 में अपंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की संख्या पर सर्वेक्षण के बाद कोई नया सर्वेक्षण किया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क): आत्म निर्भर भारत पहल के भाग के रूप में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय देश में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक समर्थन प्रदान करने के लिए केंद्र प्रायोजित ''प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना" को कार्यान्वित कर रहा है। मौजूदा यूनिटों के उन्नयन के समर्थन अथवा वैयक्तिगत के लिए नई सूक्ष्म यूनिटों की स्थापना के लिए 10.00 लाख रूपए के अधिकतम अनुदान तक 35 प्रतिशत की दर से क्रेडिट लिंक्ड अनुदान सहायता के माध्यम से प्रदान करती है। यह स्कीम 35 प्रतिशत की दर से क्रेडिट लिंक्ड अनुदान सहायता के लिए एसएचजी/एफपीओ/सहकारिता के खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों, एसएचजीज को प्रारंभिक पूंजी, इन्क्यूबेशन केंद्र, सामान्य अवसंरचना, विपणन और ब्रांडिंग तथा क्षमता निर्माण को समर्थन भी प्रदान करती है।

(ख): पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य को प्रदान की गई निधि (केंद्रीय क्षेत्र) का विवरण निम्नानुसार हैः

वित्तीय वर्ष	राशि (करोड़ रुपए)
2020-21	34.98
2021-22	23.01

(ग): वर्ष 2020-21 और 2021-22, आज तक के दौरान आंध्र प्रदेश में योजना के अंतर्गत उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार हैः

i. राज्य नोडल एजेंसिया (एसएनए), राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति (एसएलएसी) और जिला स्तरीय समितियां (डीएलसी) गठित की गई हैं ।
ii. सभी 13 जिलों के लिए एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) को अनुमोदित किया गया है ।
iii. 7597 स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) सदस्यों के लिए 29.30 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी राशि जारी की गई है ।
iv. 1 इन्क्यूबेशन केंद्र को 2.61 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया है ।
v. क्षमता निर्माण के लिए एक राज्य स्तरीय तकनीकी संस्थान (एसएलटीआई) नामत: कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), बारामती को नामांकित किया गया है । 17 मास्टर प्रशिक्षकों और 58 जिला स्तरीय प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है । लाभार्थियों को हैंड-होल्डिंग समर्थन प्रदान करने के लिए 27 जिला संसाधन व्यक्तियों (डीपीआर) को नियुक्त किया गया है ।
vi. 307 लाभार्थियों को ऋण संस्वीकृत किया गया है ।

(घ): इस अंतराल को कम करने और उनको सुधारने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं:

i. राज्य नोडल एजेंसियों (एसएनए), राज्य स्तरीय बैंकिंग समिति (एसएलबीसी), बैंक, वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) और अन्य हितधारकों के साथ मासिक समीक्षा बैठकें।
ii. लाभार्थियों क्षमता बढ़ाने के लिए जागरूकता लाने हेतु समाचार-पत्र विज्ञापनों, होर्डिंग्स, बैनर, रेडियो जिंगल्स, कार्यशालाएं, कैंप आदि जैसी प्रचार गतिविधियों का आयोजन करना।

(ङ): पीएफएमई योजना के लिए राष्ट्रीय पोर्टल कार्यात्मक है और योजना के अंतर्गत समर्थन मांगने के लिए इच्छुक व्यक्तियों और समूहों द्वारा आवेदन जमा कराने के लिए चलाया जा रहा है।

(च): आंध्र प्रदेश राज्य में योजना के अंतर्गत पंजीकृत व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को स्थापित करने के लिए नए पंजीकरणों की संख्या का जिला-वार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(छ): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने विनिर्माण, व्यापार और अन्य सेवा क्षेत्र में गैर-कृषि स्थापनाओं के लिए अक्तूबर, 2019 में अनिगमित क्षेत्र उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण (एएसयूएसई) शुरू किया है।

*****

अनुबंध

पीएम-एफएमई योजना के बारे में दिनांक 05.04.2022 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 5505 के उत्तर के भाग (च) में उल्लिखित अनुबंध

आंध्र प्रदेश राज्य में योजना के अंतर्गत पंजीकृत व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना के लिए नए पंजीकरणों की संख्या का जिला-वार विवरण

जिला	**पंजीकरणों की संख्या**	**प्रस्तुत किए गए आवेदनों की संख्या**
अनंतपुर	437	207
चित्तूर	483	402
पूर्वी गोदावरी	583	378
गुंटूर	654	308
कृष्णा	261	172
कुरनूल	313	91
प्रकाशम	170	86
श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोर	181	97
श्रीकाकुलम	221	145
विशाखापत्तनम	363	95
विजयनगरम	108	33
पश्चिम गोदावरी	357	161
वाई.एस.आर. (कडपा)	239	79
कुल	**4370**	**2254**